समय बद्ध/द्वारा ईमेल/फैक्स/क्यूमेल/द्वारा वाहक/पंजीकृत डाक द्वारा

उत्तर प्रदेश पीएसी मुख्यालय, लखनऊ

महानगर लखनऊ–226006
फोन : 0522–2337452
फैक्स नं0 : 0522–2337453
सीयूजी : 9454400167
Email : sec1@uppac.net

संख्याःपी.ए.सी.–1–153–2016(पार्ट–2)/3098
दिनांकः सितम्बर 30 2019

सेवा में,

1. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष उ0प्र0 पुलिस विभाग।
2. समस्त सेनानायक, पीएसी वाहिनी, उ0प्र0।
3. समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, प्रभारी जनपद उ0प्र0।
4. समस्त प्रभारी प्रशिक्षण संस्थान/समस्त आर0टी0सी0, उ0प्र0।
5. पुलिस उप महानिरीक्षक (स्थापना) उ0प्र0 पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद।
6. पुलिस उप महानिरीक्षक,खाद्य प्रकोष्ठ,उ0प्र0,लखनऊ।
7. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, एस.टी.एफ./ए0टी0एस0/एस0आई0टी0,लखनऊ।
8. पुलिस अधीक्षक, प्रशिक्षण एवं सुरक्षा,शाखा शाखा अभिसूचना विभाग,लखनऊ।
9. सेनानायक, विशेष परिक्षेत्र सुरक्षा वाहिनी, उ0प्र0 लखनऊ।
10. सेनानायक, एस0डी0आर0एफ0 लखनऊ।
11. पुलिस अधीक्षक, 100 डायल उ0प्र0 लखनऊ।
12. अपर पुलिस अधीक्षक,सेन्ट्ल स्टोर, कानपुर।
13. उपसेनानायक, स्पेशल टाईगर प्रोटेक्शन फौर्स, लखीमपुर खीरी उ0प्र0।
14. पुलिस अधीक्षक, वूमेन पावर लाइन (1090) उ0प्र0 लखनऊ।

विषय : – मुख्य आरक्षी पीएसी/मुख्य आरक्षी सशस्त्र पुलिस/प्लाटून कमाण्डर(वि0श्रे0) उ0नि0स0पु0 (वि0श्रे0) संवर्ग की संयुक्त अनन्तिम वरिष्ठता सूची का प्रकाशन।

....

अवगत कराना है कि इस मुख्यालय में प्राप्त नामांकन के आधार पर मुख्य आरक्षी पीएसी/मुख्य आरक्षी सशस्त्र पुलिस/प्लाटून कामण्डर (विशेष श्रेणी) उपनिरीक्षक सशस्त्र पुलिस (वि0श्रे0) की अनन्तिम जयेष्ठता सूची तैयार की गई है। तैयार की गई अनन्तिम ज्येष्ठता सूची वर्ष–2005(31–12–2005) तक मुख्य आरक्षी पद पर प्रोन्नति प्राप्त) उ0प्र0 पुलिस की बेवसाइट के पीएसी फोल्डर पर प्रकाशित की गई है। इस अनन्तिम ज्येष्ठता सूची की प्रति ई–मेल के माध्यम से भी आपको प्रेषित है। उ0प्र0 पुलिस की बेवसाइट पर https://uppolice.gov.in पर जाकर पीएसी शीर्षक के अन्तर्गत circular's पर क्लिक करके भी प्राप्त की जा सकती है।

2– मुख्य आरक्षी पीएसी/मुख्य आरक्षी सशस्त्र पुलिस/प्लाटून कामण्डर(विशेष श्रेणी)उ0नि0 सशस्त्र पुलिस(वि0श्रे0) की अनन्तिम ज्येष्ठता सूची उत्तर प्रदेश आर्म्ड कान्स्टेबुलरी अधिकारी सेवा नियमावली–2015(यथा संशोधित) के अनुसार ज्येष्ठता का अवधारण निम्नवत् किया गया हैः–

(1) मुख्य आरक्षी पीएसी/सशस्त्र पुलिस की ज्येष्ठता उनके मुख्य आरक्षी के रूप में पदभार ग्रहण करने की तिथि से अवधारित की गयी है।

(2) यदि एक से अधिक मुख्य आरक्षियों के पद भार ग्रहण करने की तिथि समान है तो आरक्षी के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि के अनुसार वरिष्ठता निर्धारित की गयी है।

(3) यदि एक से अधिक मुख्य आरक्षियों की मुख्य आरक्षी के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि एवं आरक्षी के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि समान हो तो जन्मतिथि के आधार पर ज्येष्ठता अवधारित की गयी है।